

**न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

|                                                       |                           |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| प्रकरण संख्या<br>002/2021 (नि.पं.)<br>(GCMS 2021/366) | दायर दिनांक<br>28.07.2021 | निर्णय दिनांक<br>19.03.2024 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

**अनवान**

कृष्णचंद पिता कमलाशंकर जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

**निगराकार****बनाम**

1. श्रीमती कंचनदेवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति जोशी (ब्राह्मण) उम्र वयस्क निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत सावा जरिये सचिव ग्राम पंचायत धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

**गैर निगराकारान**

उपस्थिति :- आरसी दशोरा  
अमित नाहर  
अनुपस्थित

निगराकार  
गैर-निगराकार संख्या 1  
गैर-निगराकार संख्या 2

**निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत धनेतकलां, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की पत्रावली संख्या 062/2018-19 तारीख जारी करने पट्टा दिनांक 20.04.2018 व आदेश दिनांक 20.04.2018 अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत का पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही एवं आदेश न्याय, नियमों एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होकर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का आदेश एवं पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार का पैतृक पुश्तैनी मकान ग्राम पंचायत धनेतकलां में स्थित होकर बाप-दादाओं के समय से प्रार्थी एवं उसका परिवार उक्त मकान का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी/निगराकार के उक्त मकान के पडौस व माप (आकृति) आवेदन अनुसार है। उक्त पडौसों व माप वाला मकान प्रार्थी/निगराकार का होकर निगराकार अपने परिवार सहित निवासरत होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मकान का पट्टा कंचन देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद के नाम जारी कर दिया है। प्रार्थी/निगराकार की उक्त सम्पति पुश्तैनी है तथा विरासत से प्रार्थी का उक्त सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हक हिस्सा बनता है। वादग्रस्त सम्पत्ति मृतक



कमलाशंकर की सम्पत्ति है। कमलाशंकर की मृत्यु हो चुकी है जिसका पारिवारिक सजरा आवेदन अनुसार है। इस प्रकार विरासत से कंचन देवी के नाम अकेले पट्टा जारी किया गया है जबकि विरासत से 1/4 हिस्सा प्रत्येक वारिसान का बनता है। इस प्रकार पत्रावली में ग्राम पंचायत ने सभी वारिसान को न कोई नोटिस दिया ना सुनवाई का अधिकार दिया और न ही मृतक के वारिसान से जांच पडताल ही की। ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत उद्घोषणा नहीं की गई तथा मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया व पत्रावली में जो शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये है वह भी फर्जी व बनावटी तैयार कर संलग्न किये गये है। विपक्षी संख्या 02 ने पंचायत नियमों एवं कानून का खुला उल्लंघन कर विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा पूर्णतया ग्राम पंचायत के नियमों के विरुद्ध होकर मनमाने ढंग से जारी किया गया है। कंचन देवी का न तो उक्त मकान पर कभी आधिपत्य रहा है न ही कंचन देवी का उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार है। कंचन देवी उक्त सम्पत्ति के संबंध में पूर्णतया स्ट्रेन्जर (अजनबी) है तथा ग्राम पंचायत ने बिना पडौसियों के बयान लिये, मौके पर जाये बिना, जांच पडताल किये बिना, मनमर्जी ढंग से विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की मंशा से पंचायत कार्यालय में बैठकर ही विपक्षी संख्या 02 ने गुपचुप तरीके से उक्त पट्टा जारी किया है। पंचायत द्वारा किसी भी समाचार-पत्र में उजरदारी की सूचना जारी नहीं की गई है बिना ठोस तथ्यों का संकलन किये तथा वस्तुस्थिति की जानकारी लिए बिना मिलीभगत कर पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है जो पंचायत नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में जो शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये उनमें पडौस भी गलत अंकित किये गये है। पत्रावली पर मौजूद गवाहान के शपथ-पत्र अधूरे, सन्देहास्पद एवं फर्जी तैयार किये गये है जिसमें तथ्यों का वर्णन भी सन्देहास्पद है, तथा कमलाशंकर का जो सहमति पत्र है वह भी फर्जी व बनावटी है जिसमें कमलाशंकर जी के कुटरचित हस्ताक्षर है। जबकि कमलाशंकर जी बीमार होकर अंगूठा लगाते थे। सहमति पत्र में उक्त सम्पत्ति का उल्लेख भी नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित प्रार्थी/निगराकार को बगैर सुने एक तरफा कार्यवाही करके पट्टा जारी किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार प्रमाणित हितधारी पक्षकार है तथा उक्त सम्पत्ति प्रार्थी/निगराकार की पैतृक पुश्तैनी जायदाद है। नोशनल शेयर प्रार्थी का उक्त भूमि में विरासत से बनता है जिसकी अनदेखी कर विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार को उक्त मकान का पट्टा जारी होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/निगराकार को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2020 को प्राप्त हुई उसी दिन ग्राम पंचायत में नकल आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.11.2020 को पंचायत से नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अंदर मियाद निगरानी प्रस्तुत है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य कराये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद का आवेदन भी मय शपथ-पत्र के अलग से पेश है। ग्राम पंचायत द्वारा एक तरफा गुप्त रूप से बिना सूचना दिये पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा एक



तरफा गुप्त रूप से पट्टा जारी किया है जिसमें प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई। पैतृक पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी व अन्य भी वारिसान का 1/4, 1/4 बनता है जबकि गैर निगराकार संख्या 01 कंचन देवी विपक्षी स्ट्रेन्जर यानि अजनबी है। उसका विरासत में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही व पट्टा जारी का आदेश अवैध एवं प्रभावशून्य है। तथा पट्टा विधि विपरित होकर एक तरफा मनमाना है जो निर्णय स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी/निगराकार की निगरानी/आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का आदेश निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत धनेतकलां को आदेश प्रदान करा मृतक कमलाशंकर के समस्त वारिसानों को सुना जाकर सभी के नाम अलग अलग 1/4, 1/4 हक हिस्से अनुसार नये सीरे से पट्टा जारी करावे, अन्य उचित सहायता मुफिद निगराकार हो प्रदान कराई जावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 27.10.2021 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 27.10.2021 को गैर-निगराकार संख्या 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। ग्राम पंचायत धनेतकलां के पत्रांक/2021-22/52 दिनांक 20.09.2021 से निगराधीन पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 18.10.2022 को गैर-निगराकार संख्या 01 की और से जवाब प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम एवं जवाब निगरानी पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 27.02.2024 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली हेतु निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1962 में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गई निगरानी में वर्णित पट्टा जारी करने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/निगराकार को विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम विधि विरुद्ध तरीके एवं पंचायत नियमों की अवहेलना कर गुपचुप रूप से जारी किये गये उक्त पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2020 को हुई जिस पर प्रार्थी/निगराकार ने उसी दिनांक को पट्टे की नकल चाहने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा 23.11.2020 को नकल उपलब्ध करवाई गई नकल प्राप्त होने के उपरांत प्रार्थी/निगराकार ने विधिक सलाहकार से जानकारी की तो विधिक सलाहकार द्वारा न्यायालय आपमें निगरानी प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर प्रार्थी/निगराकार ने विधिक सलाहकार के मार्गदर्शन में निगरानी तैयार करवाई और यह निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार निगराकार ने निगरानी प्रस्तुत करने में जानबुझ कर देरी नहीं की है, जो देरी हुई वह जानकारी के अभाव में हुई है इसलिए जानकारी के अभाव में हुई सद्भाविक देरी



को क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे यह आवेदन मय शपथ-पत्र के निगरानी प्रस्तुत करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को क्षम्य कराने हेतु प्रस्तुत है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर-निगराकार संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रश्नगत सम्पत्ति निगराकार की पैतृक सम्पत्ति नहीं है, न ही निगराकार एवं उसके बाप दादा के समय से निगराकार व उसका परिवार उपयोग उपभोग करता आ रहा है। विवादित सम्पत्ति कभी भी कमलाशंकरजी की पैत्रिक सम्पत्ति नहीं रही है। वास्तविकता यह है कि यह सम्पत्ति विपक्षी संख्या 01 के पुराने कब्जे एवं उपयोग का बाड़ा था। जिस पर विपक्षी अपने मवेशी, घास, चारा, खाखला इत्यादि एवं रोड़ी रखती थी। विपक्षी ने धीरे-धीरे अपने स्त्री-धन एवं पशुधन की आय से कच्चा एवं धीरे-धीरे पक्के मकानका सरेदस्त निर्माण कराया। इस प्रकार इस सम्पत्ति पर विपक्षी लम्बे समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। जिसकी जानकारी निगराकार प्रारम्भ से ही रखता था। निगरानीकार ने अपने पिता श्रीकमलाशंकरजी से छल कर निगराकार ने उनकी स्व-अर्जित एवं पैत्रिक सम्पत्ति अपने नाम पर करवा ली। जिसके विरुद्ध कमलाशंकर जी द्वारा कानूनी कार्यवाही करने एवं विपक्षी संख्या 01 के पति के द्वारा इसको जारी रखने में मनगढ़न्त निगरानी प्रस्तुत की। निगराकार विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। विवादित सम्पत्ति पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है। निगराकार प्रारम्भ से प्रश्नगत सम्पत्ति विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग की होकर पचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किये जाने जानकारी ग्राम धनेत में निवास करने एवं देवर होने अपने में निहित रखता था। इसके उपरांत निगराकार ने बिना किसी उचित एवं सम्भाव्य कारण के अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित और सम्भाव्य कारण नहीं बताया। निगरानीकार ने प्रथम बार दिनांक 29.10.2020 को कैसे जानकारी हुई इसका कोई स्पष्टीकरण भी अपने प्रार्थना-पत्र में जानबूझ कर नहीं किया। निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्दर अवधि 3 वर्ष प्रस्तुत नहीं करने एवं देरी का कोई उचित एवं सम्भाव्य कारण नहीं बताने से विलम्ब क्षम्य कराने का अधिकारी नहीं हैं, अतः जवाब प्रस्तुत है स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी को मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर-निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की मंशा से एक तरफा गुप्त रूप से बिना निगराकार को सूचना दिये पट्टा जारी किया है और प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई। पैतृक पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी व अन्य वारीसान का 1/4, 1/4 बनता है जबकि गैर निगराकार संख्या 01 कंचन देवी विपक्षी स्ट्रेन्जर यानि अजनबी है। उसका विरासत में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही व पट्टा जारी का आदेश अवैध एवं प्रभावशून्य है। तथा पट्टा विधि विपरित होकर एक तरफा मनमाना है व गुपचुप तरीके से जारी किया गया है इसलिए प्रार्थी निगराकार को इसकी पूर्व



में जानकारी नहीं हो सकी इसलिए प्रार्थी निगरानी पेश नहीं कर सका, जानकारी होते ही प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत की है इसलिए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। वैसे भी एक पक्षीय आदेश की समय सीमा जानकारी दिनांक से आरंभ होती है फिर भी दफा 05 का आवेदन देरी को क्षम्य कराने हेतु अलग से मय शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/निगराकार का आवेदन मंजूर फरमा कर प्रार्थी/निगराकार द्वारा निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को विस्तारित (क्षम्य) किये जाने का आदेश प्रदान करावे। ग्राम पंचायत द्वारा एक तरफा गुप्त रूप से पट्टा जारी किया है जिसमें प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई, तथा पट्टा विधि विपरित होकर एक तरफा मनमाना है जो निर्णय स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ-साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया बताया कि ग्राम पंचायत का पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही एवं आदेश न्याय, नियमों एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होकर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का आदेश एवं पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार का पैतृक पुश्तैनी मकान ग्राम पंचायत धनेतकलां में स्थित होकर बाप-दादाओं के समय से प्रार्थी एवं उसका परिवार उक्त मकान का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगरानी में वर्णित पडौसों व माप वाला मकान प्रार्थी/निगराकार का होकर निगराकार अपने परिवार सहित निवासरत होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मकान का पट्टा कंचन देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद के नाम जारी कर दिया है। प्रार्थी/निगराकार की उक्त सम्पत्ति पुश्तैनी है तथा विरासत से प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हक हिस्सा बनता है। वादग्रस्त सम्पत्ति मृतक कमलाशंकर की सम्पत्ति है। कमलाशंकर की मृत्यु हो चुकी है जिसका पारिवारिक सजरा आवेदन अनुसार है। इस प्रकार विरासत से कंचन देवी के नाम अकेले पट्टा जारी किया गया है जबकि विरासत से 1/4 हिस्सा प्रत्येक वारिसान का बनता है। इस प्रकार पत्रावली में ग्राम पंचायत ने सभी वारिसान को न कोई नोटिस दिया ना सुनवाई का अधिकार दिया और न ही मृतक के वारिसान से जांच पडताल ही की। ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत उद्घोषणा नहीं की गई तथा मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया व पत्रावली में जो शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं वह भी फर्जी व बनावटी तैयार कर संलग्न किये गये हैं। विपक्षी संख्या 02 ने पंचायत निमयों एवं कानून का खुला उल्लंघन कर विपक्षी संख्या 01 को लाभ



पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर-निगराकार ने जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों एवं उपनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह सम्पत्ति निगराकार की सम्पत्ति नहीं है, न ही निगराकार एवं उसके बाप-दादा के समय से निगराकार व उसका परिवार उपयोग-उपभोग करता आ रहा है विवादित सम्पत्ति कभी भी कमलाशंकरजी की पैत्रिक सम्पत्ति नहीं रही है, वास्तविकता यह है कि यह सम्पत्ति विपक्षी संख्या 01 के पुराने कब्जे एवं उपयोग का बाडा था जिस पर विपक्षी अपने मवेशी, पास, चारा, खाखला इत्यादि एवं रोड़ी रखती थी। विपक्षी ने धीरे-धीरे अपने स्त्री-धन एवं पशुधन की आय से कच्चा एवं धीरे-धीरे पक्के मकान का निर्माण कराया। इस प्रकार इस सम्पत्ति पर विपक्षी लम्बे समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। निगराकार ने कभी भी विवादित सम्पत्ति पर निवास नहीं किया है। निगरानीकार एवं विपक्षी के ससुर ने ग्राम धनेतकलां में स्थित कृषि भूमि पर ही निवास किया है। निगरानीकार/प्रार्थी धनेत हनुमान मन्दिर के पास स्थित पैत्रिक मकान में निवास कर रहा है। निगरानीकार ने अपने पिता श्रीकमलाशंकर की सम्पत्ति पर काबिज होने के उपरांत कमलाशंकर से धोखा एवं छल पूर्वक कृषि भूमि एवं दुकाने अपने व अपनी पत्नी के नाम पर करवा दी। जिससे श्रीकमलाशंकर ने निगराकार को छलपूर्वक सम्पत्ति को अपने नाम करने से अधिवक्ता के माध्यम रजि. नोटिस दिलवाया। जिससे एवं उसके उपरांत विपक्षी संख्या 01 के पति ने छलपूर्वक बनाये दस्तावेज निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिसके प्रतिशोध के लिये निगराकार ने झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत नियमों एवं उपनियमों की पालना करते हुए नियमानुसार मौका निरीक्षण कर उद्घोषणा जारीकर नियमानुसार शपथ-पत्र लेने के उपरांत नियमानुसार पत्रावली कायम कर पट्टा विलेख जारी किया। विवादित सम्पत्ति प्रारम्भ से विपक्षी कंचन देवी की सम्पत्ति थी। जिस पर विपक्षी संख्या 01 ने पहले कच्चा एवं धीरे-धीरे पक्का निर्माण कराया। विपक्षी कंचन देवी के पति सरकारी नौकरी में रह कर बाहर रहते हैं एवं विपक्षी कंचन देवी अपने बच्चों की शिक्षा-दिक्षा हेतु सदैव विवादित सम्पत्ति पर निवास करती रही है। निगराकार प्रारम्भ से पैत्रिक सम्पत्ति हनुमान मन्दिर के पास निवास करता था। निगराकार अपने पिता कमलाशंकर से दुर्व्यवहार करता था, जिससे कमलाशंकर जी विपक्षी के साथ रहते थे एवं विपक्षी उनकी सेवा सुश्रुशा करती थी। कमलाशंकर जी निगराकार की बदनियति से वाकिफ थे, इसलिये उन्होने विवादित सम्पत्ति विपक्षी की सम्पत्ति होने से विपक्षी के पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने हेतु विपक्षी के पक्ष में सहमति-पत्र ग्राम पंचायत में जारी किया। कमलाशंकर जी हस्ताक्षर करते थे एवं उन्होने निगराकार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित नोटिस पर भी हस्ताक्षर किये थे। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 का पुराना कब्जा पाया जाना एवं स्वतंत्र शपथ-पत्र के प्रभाव में नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया। प्रार्थी निगराकार द्वारा निगरानी में मनगढ़न्त तथ्य प्रस्तुत किये।



निगरानीकार ने अपने पिता श्रीकमलाशंकरजी से छल कर निगराकार ने उनकी स्वअर्जित एवं पैत्रिक सम्पत्ति अपने नाम पर करवा ली। जिसके विरुद्ध कमलाशंकर जी द्वारा कानूनी कार्यवाही करने एवं विपक्षी संख्या 01 के पति के द्वारा इसको जारी रखने में मनगढ़न्त निगरानी प्रस्तुत की। निगराकार विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। विवादित सम्पत्ति पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं। निगराकार प्रारम्भ से प्रश्नगत सम्पत्ति विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग की पट्टा विलेख जारी किये जाने होकर पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष जानकारी अपने में निहित रखता था। इसके उपरांत निगराकार ने बिना किसी उचित एवं सम्भाव्य कारण के अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित और सम्भाव्य कारण नहीं बताया। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं, अतः प्रार्थना है कि जवाब प्रस्तुत है स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर-निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा पूर्णतया ग्राम पंचायत के नियमों के विरुद्ध होकर मनमाने ढंग से जारी किया गया है। कंचन देवी का न तो उक्त मकान पर कभी आधिपत्य रहा है न ही कंचन देवी का उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार है। कंचन देवी उक्त सम्पत्ति के संबंध में पूर्णतया स्ट्रेन्जर (अजनबी) है तथा ग्राम पंचायत ने बिना पडौसियों के बयान लिये, मौके पर जाये बिना, जांच पड़ताल किये बिना, मनमर्जी ढंग से विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की मंशा से पंचायत कार्यालय में बैठकर ही विपक्षी संख्या 02 ने गुपचुप तरीके से उक्त पट्टा जारी किया है। पंचायत द्वारा किसी भी समाचार-पत्र में उजरदारी की सूचना जारी नहीं की गई है बिना ठोस तथ्यों का संकलन किये तथा वस्तुस्थिति की जानकारी लिए बिना मिलीभगत कर पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है जो पंचायत नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में जो शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये उनमें पडौस भी गलत अंकित किये गये हैं। पत्रावली पर मौजूद गवाहान के शपथ-पत्र अधूरे, सन्देहास्पद एवं फर्जी तैयार किये गये हैं जिसमें तथ्यों का वर्णन भी सन्देहास्पद है, तथा कमलाशंकर का जो सहमति पत्र है वह भी फर्जी व बनावटी है जिसमें कमलाशंकर जी के कुटरचित हस्ताक्षर हैं। जबकि कमलाशंकर जी बीमार होकर अंगूठा लगाते थे। सहमति पत्र में उक्त सम्पत्ति का उल्लेख भी नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित प्रार्थी/निगराकार को बगैर सुने एक तरफा कार्यवाही करके पट्टा जारी किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार प्रमाणित हितधारी पक्षकार है तथा उक्त सम्पत्ति प्रार्थी/निगराकार की पैतृक पुश्तैनी जायदाद है। नोशनल शेयर प्रार्थी का उक्त भूमि में विरासत से बनता है जिसकी अनदेखी कर विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है, अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की निगरानी/आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करन का आदेश निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत धनेतकलां को आदेश प्रदान करा मृतक कमलाशंकर के समस्त वारिसानों को सुना जाकर सभी के नाम अलग अलग 1/4, 1/4 हक हिस्से



अनुसार नये सीरे से पट्टा जारी करावे, अन्य उचित सहायता मुफिद निगराकार हो प्रदान कराई जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

**97. Power of revision and review by Government.-** (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रार्थी निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में मुख्य रूप से न्यायालय के विचारणार्थ विवादित भूमि का पुश्तैनी होने एवं निगराधीन पट्टे की प्रक्रियात्मक त्रुटि के बिन्दु उठाये गये हैं। जहां तक विवादित भूमि का



पुश्तैनी होने का प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी/निगराकार द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से विवादित भूमि के पुश्तैनी होने के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र अभिवचनों से इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही यहां इस तथ्य को उल्लेखित किया जाना भी समीचीन होगा की जहाँ प्रार्थी/निगराकार द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि विवादित भूमि का प्रार्थी/निगराकार का हक-हिस्सा निहित है, इस तथ्य परीक्षण किये जाने की क्षेत्राधिकारित इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, यह सक्षम सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/निगराकार इस संबंध सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

निगराधीन पट्टे की प्रक्रियात्मकता का परीक्षण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है, एवं इस बाबत परीक्षण किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

**157. Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- |                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules             | Rs. 100/- |
| (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. | Rs. 200/- |

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अभिलेख में पत्रालवी में संलग्न आज्ञाओं की सूची में वर्णित आज्ञाओं में आज्ञा संख्या 2 दिनांक 08.08.2017 से प्रार्थीया के आवेदन अनुसार



आवेदित मकान के मौका निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की नियुक्ति की गई है। आज्ञा संख्या 3 दिनांक 20.02.2018 से 3 वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका निरीक्षण दिनांक 12.08.2017 से किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त रिपोर्ट पर 3 वार्ड पंचों के हस्ताक्षर अंकित है। प्रकरण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौका निरीक्षण पूर्ण कोरम से किया गया है। आज्ञा दिनांक 20.02.2018 के अनुसार उक्त भूमि का नक्शा व पंचायत के 3 सदस्यों द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई एवं इस बाबत आपत्ति बाबत आपत्ति पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। आज्ञा दिनांक 20.04.2018 के अनुसार आपत्ति पत्र जारी किया गया अन्दर मियाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, अतः नियम 157 में पुराने गृह का विनियमितकरण 157(1) के तहत राशि 200/- जमा रोकड रसीद प्राप्त करने पर पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया। आवेदक के प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अपने पुराने आवासीय गृह/पैतृक मकान का विनियमितकरण करना चाहता है। ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा जारी सूचना-पत्र बाबत आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितीकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने वाले प्रारूप-22 में सूचना-पत्र जारी किया गया है, जिसकी पुश्त पर मौतबिरान की ताईद है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व दक्षिण दिशा में भगवतीलाल पिता नन्दलाल भट्ट का मकान स्थित है। आवेदन के साथ पडौसी प्रकाशचन्द्र पिता गोपीलाल शर्मा एवं चन्द्रशेखर पिता जगदीशचन्द्र जोशी के शपथ-पत्र एवं पहचान हेतु पहचान पत्र की छाया प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके साथ ही कमलाशंकर पिता नन्दराम का सहमति का शपथ-पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। आवेदन का मकान के साथ फोटो पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में गैर निगराकार को निगराधीन बुक संख्या 171 पट्टा संख्या 035 विधि अनुसार जारी किया जाना प्रतिवेदित होता है। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में किसी भी प्रकार से विधिक भूल नहीं की जाकर पट्टा जारी किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित बुक संख्या 171 पट्टा संख्या 035 दिनांक 09.05.2018 की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना-पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में निगराकार द्वारा दिनांक 29.10.2020 को जानकारी होना अवगत कराया है, जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त होना अगवत कराया गया



है, जबकि हस्तगत प्रकरण न्यायालय में दिनांक 23.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में निगराकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा निगरानी जानकारी में आये जाने के उपरांत भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार निगराकार पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसके साथ ही उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निगरानी गुणावगुण पर भी बलहीन एवं सारहीन पाई गई है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा निगरानी के माध्यम से उठाये गये ग्राम पंचायत धनेतकलां पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित बुक संख्या 171 पट्टा संख्या 035 दिनांक 09.05.2018 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में किसी भी प्रकार से विधिक भूल नहीं की जाकर पट्टा जारी किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी बुक संख्या 171 पट्टा संख्या 035 दिनांक 09.05.2018 जो कि गैर निगराकार श्रीमती कंचनदेवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति जोशी (ब्राह्मण) निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत धनेतकलां का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के मार्फत विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ के भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़

